रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 178] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 6, 2007/आषाढ़ 15, 1929

No. 178] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 6, 2007/ASADHA 15, 1929

विद्युत मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 2007

पारेषण सेवा के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली देने के दिशानिर्देश

सं. 11/30/2004-पीजी(i).—पारेषण सेवा के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली देने के दिशानिर्देश विद्युत अधिनियम, 2003 के उपबंधों के अधीन दिनांक 13 अप्रैल, 2006 के समसंख्यक संकल्प द्वारा अधिसूचित किए गए थे ।

उपरोक्त दिशानिर्देशों में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं :-

1. आमुख - आमुख के पैरा 4 में "**ये दिशानिर्देश**" शब्द "**पारेषण सेवा के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली देने के दिशानिर्देश और पारेषण परियोजनाओं के विकास में प्रतिस्पर्धा प्रोत्साहित करने के लिए दिशानिर्देश**" द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।

2. बोली प्रक्रिया संयोजक (बीपीसी) पैरा 3.1 - "**इन दिशानिर्देशों के अनुसार टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली देने के अधीन कार्यान्वयन की जाने वाली प्रत्येक अंतर्राज्यीय पारेषण परियोजनाओं के लिए**" शब्दों को उसी वाक्य में पैरा के अंत में प्रविष्ट किया गया है।

पैरा 3.2 - "**कोई**" शब्द को "**के लिए**" और "**अंतर्राज्यीय पारेषण**" के बीच प्रविष्ट किया गया है और

"**परियोजना**" शब्द "**अंतर्राज्यीय पारेषण**" के बाद प्रविष्ट किया गया है। पैरा के प्रथम वाक्य में "**अथवा उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां (विशेष प्रयोजन साधन)**" शब्दों को "**केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रम**" और "**बीपीसी होने वाले**" शब्दों के बीच प्रविष्ट किया गया है।

3. बोलियां आमंत्रित करने के लिए तैयारी पैरा 4.3 - प्रथम वाक्य में **"सफल बोलीदाता को परियोजना कार्यस्थल का हस्तांतरण सुविधाजनक बनाना"** शब्दों को **"भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रारंभ करना"** शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।

दूसरे वाक्य में **"मार्ग के अधिकार के अधिग्रहण में सफल बोलीदाता को सुविधा देना"** शब्दों को **"अगर अपेक्षित हो, वन संबंधी स्वीकृति मांगने की प्रक्रिया प्रारंभ करना"** शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है

4. पारेषण सेवा प्रदायक(टीएसपी)पैरा 5.1 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है :-

"टीएसए निष्पादित करने और एसपीवी अधिग्रहित करने के बाद यहां इसके बाद टीएसपी के रूप में उल्लिखित सफल बोलीदाता को पारेषण सेवा प्रदायक (टीएसपी) के रूप में नामोर्दिष्ट किया जाएगा। टीएसपी उपयुक्त विनियामक आयोग से पारेषण लाइसेंस की मांग करेगा अगर वह मानित लाइसेंसधारी नहीं है। टीएसए उपयुक्त विनियामक आयोग से लाइसेंस देने की तारीख से प्रभावी होगा।"

"परियोजना" शब्द को **"पारेषण"** और **"इस प्रकार"** शब्दों के बीच प्रविष्ट किया गया है और **"बोली दस्तावेज"** शब्दों को **"टीएसए"** द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।

5. पारेषण प्रभार संरचना पैरा 7.3 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है :

"बोली मूल्यांकन चरण पर, लाइसेंस की अवधि में न्यूनतम और अधिकतम पारेषण प्रभार का अनुपात (मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ प्रयुक्त किए जा रहे सूचकांक के अनुसार वृद्धि को सम्मिलित करते हुए गैर-बिक्रीयोग्य संघटक और बिक्रीयोग्य संघटक दोनों सहित) संविदा की अवधि के दौरान अत्यधिक अग्र भार अथवा पश्च भार से बचने के लिए 0.7 से कम नहीं होगा।"

6. बोली देने की प्रक्रिया पैरा 9.4.1 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है :

"निम्नलिखित सहित अपेक्षाओं की परिभाषा :

- परियोजना का संक्षिप्त विवरण;
- बोलीदाताओं द्वारा प्राप्त किए जाने वाले चालू करने के मानदंड;
- न्यूनतम निवल मूल्य, आंतरिक संसाधन सृजन आदि सहित बोलीदस्तावेजों में यथा रेखांकित आवश्यक साक्ष्य के साथ बोलीदाताओं द्वारा पूरी की जाने वाली अर्हता अपेक्षाएं।"

पैरा 9.4.2 निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया गया है :

पारेषण लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पात्र होने हेतु किसी व्यक्ति द्वारा अनुपालन किए

जाने वाले उपयुक्त आयोग द्वारा यथानिर्दिष्ट शर्तें आरएफक्यू के लिए आवश्यक शर्तें होंगी और उन्हें बीपीसी द्वारा आरएफक्यू में किया जाएगा।"

पैरा 9.4.3 से 9.4.6 हटा दिया गया।

पैरा 9.5 - प्रथम वाक्य के अंत में **"आरएफक्यू"** के लिए अक्षरों को **"आरएफपी"** चरण अक्षरों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।

दूसरे वाक्य में **"पता लगातार"** और **"विपथन"** शब्दों के बीच **"कि"** शब्द **"उन"** शब्द द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।

तीसरे वाक्य **"आरएफक्यू"** अक्षरों को **"आरएफपी"** अक्षरों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।

पैरा 9.6.2 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है :-

प्रस्तावित पारेषण सेवा करार (टीएसए)

> **टीएसपी संबंधित संगठनों के साथ एक पारेषण सेवा करार (टीएसए) करेगा। इनमें उस क्षेत्र, जहां भार अवस्थित है, किसी मध्यस्थ क्षेत्र और क्षेत्रों के बीच अंतःक्षेत्रीय पारेषण लाइनों के बीच आने वाले संगठन शामिल हो सकते हैं।**
>
> **संबंधित परियोजना के लिए बोलीदस्तावेज प्रस्तावित टीएसए का प्रारूप प्रदान करेगा।**

पैरा 9.6.3 को **"बोलीदाता के प्रस्ताव की वैधता की अपेक्षित अवधि"** द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।

पैरा 9.6.4 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है :

"चयनित बोलीदाता के साथ किया जाने वाला प्रस्तावित टीएसए। आरएफपी चरण में प्रस्तावित टीएसए बोली पूर्व सम्मेलन के दौरान बोलीदाताओं से प्राप्त जानकारियों के आधार पर संशोधित किया जा सकता है और यह सभी आरएफपी बोलीदाताओं को उपलब्ध कराया जाएगा। टीएसए में आगे कोई संशोधन नहीं किया जाएगा।"

पैरा 9.6.5 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है :

"बीपीसी द्वारा अपनाई जाने वाली बोली मूल्यांकन विधियां। बोलियों को बोलीदाता द्वारा बताए गए पैकेज के अधीन शामिल सभी संघटकों के लिए वार्षिक पारेषण प्रभार के आधार पर मूल्यांकित किया जाएगा।"

पैरा 9.6.6 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है :

"आरएफपी उस कटौती अनुपात (डीएफ) को भी निर्दिष्ट करेगा जिसका प्रयोग बोलियों के मूल्यांकन के लिए किया जाएगा।"

पैरा 9.6.7 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है :

"आरएफपी बोली बंदपत्र (बांड) तथा साथ ही बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली संविदा कार्यनिष्पादन गारंटी भी निर्दिष्ट करेगा।"

पैरा 9.6.8 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है :

"आरएफपी के साथ टीएसपी और संगठनों के बीच प्रस्तावित क्षतिपूर्ति करने का करार भी प्रदान किया जाएगा। यह क्षतिपूर्तिकरण टीएसपी और संगठनों दोनों पर आरएफपी में यथानिर्दिष्ट प्रारंभ तारीख से लागू होगा।"

पैरा 9.6.9 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है :

"आरएफपी उस निर्णीत हर्जाने को भी निर्दिष्ट करेगा जो पारेषण सेवाएं प्रदान करना प्रारंभ करने में विलंब करने की दशा में लागू होगा।"

पैरा 9.6.10 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है :

"केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा निर्दिष्ट तकनीकी मानक के प्रावधानों, आईईजीसी/राज्य ग्रिड कोड, यथा लागू उपयुक्त आयोग के संगत आदेशों आदि सहित बोलीदाता/टीएसपी द्वारा पूरे किए जाने वाले अन्य तकनीकी, प्रचालनात्मक और सुरक्षा मानदंड।"

पैरा 9.8 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया गया है :

"बोली मूल्यांकन समिति : अधिकार प्राप्त समिति केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से कम से कम एक प्रतिनिधि और संबंधित क्षेत्रीय विद्युत समितियों से कम से कम दो प्रतिनिधियों अर्थात प्रत्येक संबंधित आरपीसी से कम से कम एक प्रतिनिधि तथा एक स्वतंत्र सदस्य के साथ बोलियों के मूल्यांकन के लिए एक समिति गठित करेगी। स्वतंत्र सदस्य को वित्तीय मामलों/बोली मूल्यांकन में विशेषज्ञता होगी।"

पैरा 9.10 - प्रथम वाक्य में "स्कोर" शब्द को "जांच किया गया" शब्द द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। "आरएफक्यू" अक्षर को "बोली दस्तावेजों" शब्द से प्रतिस्थापित किया गया है।

पैरा 9.11 - **"निविदा की शर्तें"** शब्दों को **"बोली दस्तावेजों"** शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।

पैरा 9.12 - **"स्तरीकृत"** शब्द को **"निम्नतम"** और **"पारेषण"** शब्दों के बीच प्रविष्ट किया गया है।

पैरा 12.1 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है :

"चयन और बीपीसी से आशय पत्र जारी करने के बाद चयनित बोलीदाता टीएसपी बनने के लिए परियोजना के लिए सृजित एसपीवी अधिग्रहित करेगा और बोलीदस्तावेज में अंतिम रूप दी गई शर्तों के अनुसार अगर एसपीवी द्वारा हस्ताक्षर नहीं किया गया है तो टीएसए पर हस्ताक्षर करेगा। टीएसए उपयुक्त आयोग से पारेषण लाइसेंस देने पर ही प्रभावी होगा"

पैरा 12.2 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है :

"टीएसपी आशय पत्र जारी करने अथवा टीएसए पर हस्ताक्षर करने, इनमें से जो भी बाद में हो, के एक महीने के भीतर उपयुक्त आयोग को पारेषण लाइसेंस देने के लिए आवेदन देगा।"

पैरा 12.3 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है :

"बीपीसी सभी बोलियों के मूल्यांकन के अंतिम परिणाम को सार्वजनिक करेगा।"

पैरा 12.4 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है :

"अधिकार प्राप्त समिति द्वारा प्रमाणीकरण के साथ टीएसए अधिनियम की धारा 63 के अनुसार टैरिफ अपनाने के लिए उपयुक्त आयोग को अग्रेषित किया जाएगा।"

जिवेश नंदन, निदेशक

3052 GI/07-2

MINISTRY OF POWER

RESOLUTION

New Delhi, the 4th July, 2007

Tariff based Competitive-bidding Guidelines for Transmission Service.

No. 11/30/2004-PG(i).—The Guidelines for Tariff based Competitive-bidding Guidelines for Transmission Service had been notified *vide* Resolution of even number dated 13th April, 2006 under the provisions of the Electricity Act, 2003.

The following amendments are hereby made in the above Guidelines:

1. PREAMBLE – in para 4 of the Preamble the word ***'these guidelines'*** have been replaced by **'Tariff based Competitive Bidding Guidelines for Transmission Service and Guidelines of Encouraging Competition in Development of Transmission Projects'.**

2. BID PROCESS COOORDINATOR (BPC) para [illegible] – The words ***'for each inter-State Transmission Project to be implemented under tariff-based competitive bidding in accordance with these guidelines'*** has been inserted at the end of the para in the same sentence.

   Para 3.2 - The word *'any'* has been inserted between **'for'** and **'inter-State Transmission'** and
   The word ***'Project'*** has been inserted after 'inter State Transmission'. The words ***'or its wholly owned subsidiary (Special Purpose Vehicle)'*** have been inserted between the words **'Central Public Sector Undertaking'** and **'to be the BPC'** in the first sentence of the para.

3. PREPARATION FOR INVITING BIDS para [illegible] – The words ***'facilitate the transfer of the project site to the successful bidder'*** in the first sentence have been substituted by the words **'initiate the process of acquisition of land'.**

   The words ***'facilitate the successful bidder in acquisition of Right of Way'*** in the second sentence have been substituted by the words '**initiate the process of seeking forest clearance, if required.'**

4. TRANSMISSION SERVICE PROVIDER (TSP) PARA 5.1 has been substituted by the following:

   'The successful bidder shall be designated as the Transmission Service Provider (TSP), herein after referred to as the TSP, after

executing the TSA and acquiring the SPV. The TSP shall seek transmission license from the appropriate Regulatory Commission, if it is not a deemed licensee. The TSA shall be effective from the date of grant of license from the appropriate Regulatory Commission.'

The word ***'project'*** has been inserted between the words **'Transmission'** and **'so as'** and the words ***'bid documents'*** have been substituted by **'TSA'**

5. TRANSMISSION CHARGE STRUCUTRE para 7.3 has been substituted by the following:

'At the bid evaluation stage, ratio of minimum and maximum transmission charge (including both the non-scaleable component and the scaleable component incorporating escalation as per index being used for the purpose of evaluation) over the term of the license shall not be less than 0.7 to avoid excessive front loading or back loading during the period of contract.'

6. BIDDING PROCESS para 9.4.1 has been substituted by the following:

'Definition of requirements, including:

- ***Brief description of the Project ;***
- ***Commissioning milestones to be achieved by the bidders;***
- ***Qualification requirements to be met by bidders including, minimum net-worth, internal resource generation, etc with necessary proof of the same, as outlined in the bid documents;'***

Para 9.4.2 has been substituted by the following:

'The conditions as specified by the Appropriate Commission to be complied with by a person for being eligible to obtain a transmission license shall be necessary conditions for RFQ and will be incorporated in the RFQ by BPC.'

Para 9.4.3 to 9.4.6 deleted.

Para 9.5 – The letters for ***'RFQ'*** at the end of first sentence have been substituted by the letters **'RFP'** stage.

The word ***'that'*** between the words **'finds'** and **'deviations'** in the second sentence has been replaced by the word **'those'**.

The letters 'RFQ' in the third sentence have been substituted by the letters 'RFP'.

Para 9.6.2 has been substituted by the following

Proposed Transmission Service Agreement(TSA)

> ***The TSP will enter into a Transmission Service Agreement (TSA) with the concerned utilities. These may include the utilities falling in the region where the load is located, any intervening region and the interregional transmission lines between the regions.***
> ***The bid document for the concerned project shall provide a draft of proposed TSA.***

Para 9.6.3 has been substituted by ***'Required Period of validity of offer of bidder;'***

Para 9.6.4 has been substituted by the following

'TSA proposed to be entered with the selected bidder. The TSA proposed in the RFP stage may be amended based on the inputs received from bidders during the pre bid conference and it will be made available to all RFP bidders. No further amendments shall be carried out in the TSA;'

Para 9.6.5 has been substituted by the following

'Bid evaluation methodology to be adopted by the BPC. The bids shall be evaluated based on annual transmission charges for all components covered under the package as quoted by the bidder.'

Para 9.6.6 has been substituted by the following

'The RFP shall also specify the Discount Factor (DF) that would be used for evaluation of bids.'

Para 9.6.7 has been substituted by the following

'The RFP will also specify the bid bond as well as the Contract Performance Guarantee that the bidders will have to furnish.'

Para 9.6.8 has been substituted by the following

'The proposed indemnification agreement between the TSP and the utilities will also be provided along with the RFP. This indemnification will be applicable to both the TSP and the utilities from the zero date as specified in the RFP.'

Para 9.6.9 has been inserted as the following

'The RFP shall also specify the liquidated damages that would apply in event of delay in start of providing the transmission services.'

Para 9.6.10 has been inserted as the following"

'Other technical, operational and safety criteria to be met by bidder/TSP, including the provisions of the technical standard specified by CEA, IEGC/State Grid Code, relevant orders of the Appropriate Commission, etc., as applicable.'

Para 9.8 has been substituted as the following:

'<u>Bid evaluation committee:</u> The Empowered Committee shall constitute a committee for evaluation of the bids with at least one representative from CEA and not less than two representatives from the concerned Regional Power Committees with at least one representative from every concerned RPC and one independent member. The independent member shall have expertise in financial matter/bid evaluation.'

Para 9.10 - The word ***'scored'*** has been substituted by the word **'examined'** in the first sentence. The letter ***'RFQ'*** has been substituted with the words **'bid documents'**.

Para 9.11 – The words ***'tender conditions'*** have been replaced by the words **'bid documents'**.

Para 9.12 – the word ***'levelised'*** has been inserted between the words **'lowest'** and **'transmission'**.

Para 12.1 has been substituted by the following:

'After selection and issue of LOI from the BPC, the selected bidder shall acquire the SPV created for the Project to become TSP and sign the TSA, if not already signed by the SPV, in accordance with the terms and conditions as finalized in the bid document. The TSA will be effective only upon grant of transmission license from the Appropriate Commission.'

Para 12.2 has been substituted by the following:

'The TSP shall make an application for grant of transmission license to the Appropriate Commission within one month of issuance of LOI or signing of TSA, whichever is later.'

Para 12.3 has been substituted by the following:

'The BPC shall make the final result of evaluation of all bids public'

Para 12.4 has been substituted as the following:

'The TSA along with the certification by the Empowered Committee shall be forwarded to the Appropriate Commission for adoption of tariffs in terms of Section 63 of the Act'.

JIWESH NANDAN, Director

संकल्प

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 2007

पारेषण परियोजनाओं के विकास में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के लिए दिशानिर्देश

सं. 11/30/2004-पीजी(ii).— पारेषण परियोजनाओं के विकास में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के दिशानिर्देश विद्युत अधिनियम, 2003 के उपबंधों के अधीन दिनांक 13 अप्रैल, 2006 के समसंख्यक संकल्प द्वारा अधिसूचित किए गए थे।

उपरोक्त दिशानिर्देशों में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं :-

1. परियोजना निर्माण पैरा 17 - **"विस्तृत परियोजना रिपोर्ट** (डीपीआर)**"** शब्दों को **"परियोजना रूपरेखा (पीपी)"** द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।

2. परियोजना निर्माण पैरा 18 - **"विशेष प्रयोजन साधन** (एसपीवी)**"** को **"केन्द्रीय पारेषण संगठनों (सीटीयू)"** के बाद प्रविष्ट किया जाना है **और** पैरा के प्रारंभिक वाक्य में **"विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर)"** शब्दों को **"परियोजना रूपरेखा (पीपी)"** द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। पैरा के दूसरे वाक्य में **"एसपीवी"** को "सीटीयू" के बाद प्रविष्ट किया गया है।

3. पारेषण के लिए लाइसेंस पैरा 20 - पहले वाक्य में "अधिकार **प्राप्त समिति द्वारा चयन"** शब्दों को नीचे रेखांकित किया जाना है।

4. पारेषण प्रभारों का भुगतान पैरा 21 - पहले वाक्य में "विकासकर्ता" शब्द को **"एसपीवी"** द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।

जिवेश नंदन, निदेशक

RESOLUTION

New Delhi, the 4th July, 2007

Guidelines for Encouraging Competition in Development of Transmission Projects.

No. 11/30/2004-PG(ii).—The Guidelines for Encouraging Competition in Development of Transmission Projects had been notified *vide* Resolution of even number dated 13th April, 2006 under the provisions of the Electricity Act, 2003.

The following amendments are hereby made in the above Guidelines:

1. PROJECT FORMULATION Para 17 - The words '***Detailed Project Report (DPR)***' have been replaced by '**Project Profile (PP)**'.

2. PROJECT FORMULATION Para 18 – '***/Special Purpose Vehicle (SPV)***' to be inserted after '**Central Transmission Utilities (CTU)' and** the words '***Detailed Project Report (DPR)***' have been replaced by '**Project Profile (PP)**' in the opening sentence of the para. '***/SPV***' has been inserted after '**CTU**' in the second sentence of the para.

3. LICENSE FOR TRANSMISSION para 20 – the words '**selection by Empowered Committee**' in the first sentence to be underlined.

4. PAYMENT OF TRANSMISSION CHARGES para 21 – the word '***developer***' in the first sentence has been replaced by '**SPV**'.

JIWESH NANDAN, Director

Printed by the Manager, Govt. of India Press. Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.